

वैबसाईट
अति आवश्यक
तुरन्त

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

सभी डी०डी०ओ०, श्रम विभाग,
हरियाणा राज्य।

क्रमांक: स्था०/०१/२०२४/२५५

दिनांक: ०५/०१/२५

विषय : ऑन लाईन स्थानान्तरण नीति के तहत सर्विस वैरीफिकेशन करवाने बारे।

उपरोक्त विषय संदर्भ में।

विषय संबंध में सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा श्रम निरीक्षकों की स्थानान्तरण नीति तैयार कर दी गई है। सभी श्रम निरीक्षकों का दिनांक 30.11.2023 तक सर्विस वैरीफिकेशन किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत सभी श्रम निरीक्षकों का दिनांक 30.11.2023 तक सर्विस वैरीफिकेशन करके मुख्यालय को 2 दिन के अन्दर-2 सूचित करें।

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।